

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक...

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	शाहिद परवाना पिता—अब्दुल गफुर ग्राम—भेदया पोस्ट—भेदया थाना—बारा चट्टी जिला गया एम०सी०एस—जी० 1594	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	फुल कुमारी पति—विरेन्द्र दास ग्राम—सजौर पोस्ट—सजौर थाना—सजौर ओ०पी० जिला—भागलपुर एम०सी०एस—एफ 1779	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	पवन कुमार चौधरी पिता—सुरेन्द्र चौधरी ग्राम—औराय पोस्ट—औराय थाना—पुरैनी बाजार जिला—मधेपुरा एम०सी०एस—एफ 96959	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मनोरमा देवी पति—भगवान लाल साह ग्राम—बुढुचक पोस्ट—कटिहार थाना—सहायक जिला—कटिहार एम०सी०एस—जी० 1088	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	समीना खान पति-मो० इदरीश ग्राम-आमाटोल वार्ड 01 पो०-उसराही थाना-देवधा जिला-मधुबनी एम०सी०एस-जी० 1483	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	मेहरूण परवीन पिता-मो० मोहसीम ग्राम-खटीया टोली चंदद्वार पो०-बनगामा थाना-बहादुरगंज जिला-किशनगंज एम०सी०एस-जी० 736	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	विजय शंकर प्रसाद पिता-स्व० बच्चा प्रसाद ग्राम-घानाचक पोस्ट-राधागंज थाना-श्रीपुर जिला-गोपालगंज एम०सी०एस-जी० 2521	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	फेजान पिता-मोहम्मद मुजाहिर ग्राम-मरवा टोला लोखरिया पो०-बारा इस्तमारा थाना-जोकीहाट जिला-अररिया एम०सी०एस-जी० 2274	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	अमरेश झा पिता-सुधाकर झा ग्राम-पो०-बसौना थाना-बनगाव जिला-सहरसा एम०सी०एस-जी० 523	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	फुलपरी देवी पति-तपेश्वर राम ग्राम-गोह पो०-गोह थाना-गोह जिला औरंगाबाद एम०सी०एस-जी० 83341	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	प्रदीप चौधरी पिता-नन्हकु चौधरी ग्राम-आमीपुर पो०-ओढनपुर थाना-मुफ्फसिल जिला-नवादा एम०सी०एस-एफ 95869	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	चन्देश्री देवी पति-स्व० जानकी यादव ग्राम-पीरखसराय पो०-मकसुदपुर थाना-खिजरसराय जिला-गया एम०सी०एस-एफ 98743	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	प्रियका कुमारी पति अमित कुमार ग्राम-प्राथमिक विद्यालय के पीछे पो०-सुगौली थाना-सुगौली जिला-पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-एफ 90600	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	राधेश्याम कुमार पिता स्व० मेघनाथ राय ग्राम-मरीचा पो० मरीचा थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर एम०सी०एस-जी० 2440	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	मीना देवी पति-तपेश्वर ठाकुर ग्राम-खोखरा पो०-राजपुर थाना-कल्याणपुर जिला पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-एफ 99759	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	महेश्वर मडल पिता-भोला मडल ग्राम-सिमाना चटेया पो०-परशुरामपुर थाना-पीरपैती जिला-भागलपुर एम०सी०एस-जी० 599	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	विजय पासवान पिता-चन्देश्वर पासवान ग्राम-देवी मंदिर के पास गोपालपुर पो०-गोपालपुर थाना-नौबतपुर जिला-पटना एम०सी०एस-एफ 90973	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	मन्दु कुमार पिता-बडे पडित ग्राम-सहोखर पो०-सोहसराय थाना-सोहसराय जिला-नालदा एम०सी०एस-जी० 438	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	अमेरिका देवी पति-सुरेश प्रसाद यादव ग्राम-लतराहा पो0-लतराहा थाना-बडहरा कोठी जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 99067	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
20	रमण कुमार पिता-सुरेन्द्र पासवान ग्राम-वार्ड न0-01 कुम्हारौली पो0-शाहपुर थाना-नवहट्टा जिला सहरसा एम0सी0एस-जी0 1400	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
21	अजय कुमार दास पिता-जलेश्वर दास ग्राम-कोढरिया पो0-कोढरिया थाना-शिवाईपट्टी जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 2686	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
22	आशा देवी पति-अशोक प्रसाद ग्राम-लव कुशपुर खलपुरा कमाल पो0-गुल्टेनगज थाना-मुफ्फसिल जिला सारण एम0सी0एस-एफ 76025	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
23	सजय कुमार सिंह पिता-रामोतार सिंह ग्राम-गौरीपुर पो0-साफिसाबाद थाना-सफिया सराय जिला-मुंगेर एम0सी0एस-जी0 2249	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
24	रजनीश कुमार पिता-जितेन्द्र यादव ग्राम-भवानीपुर पोस्ट-हुलासगज थाना-शकुराबाद जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 2484	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
25	सजीत पासवान पिता सहदेव पासवान ग्राम-गगापुर पो0-चाकन्द थाना-चाकन्द जिला गया एम0सी0एस-जी0 2309	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।

26	आजाद अली पिता-उमर अली ग्राम-गोसपुर पट्टी पो0-बलभद्रपुर थाना-वीरपुर जिला-सुपौल एम0सी0एस-जी0 175	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	पम्मी सिंह पिता/पति उमा सिंह ग्राम-पो0-लक्ष्मीपुर थाना-बरारी जिला-कटिहार एम0सी0एस-जी0 1439	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	मोहम्मद कासीफ पिता-नुरुल हक ग्राम-मोगलपुरा पार्टी गली रिजवीया मदरसा के पास पो0-झाउगज थाना-खाजेकला जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 93586	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	राजीव कुमार पिता-जगरनाथ राय ग्राम-रदाहा पो0-बलाटाड थाना-राजापाकर जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 99736	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	मो0 फैशल पिता-मो0 एजाज ग्राम-खोजुचक पो0-सोनपुरा थाना-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा एम0सी0एस-एफ 67038	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	समि अहमद पिता-अजीजुल रहमान ग्राम-मिल्की पो0-वारिस नगर थाना-वारिस नगर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 98611	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	रीता देवी पति-बशिष्ठ सिंह ग्राम-पो0-मराछी थाना-जामो बाजार जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 672	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	मीरा देवी पति-सुनील शर्मा ग्राम-उतरावन वार्ड 10 पो0-उतरावन थाना-कुर्था जिला अरवल एम0सी0एस-जी0 1366	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	राम विलास मोची पिता-दिनकर मोची ग्राम-झारबरी वार्ड 6 पो0 तैयबपुर थाना-पोठिया जिला-किशनगज एम0सी0एस-जी0 1588	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	रेणु देवी पति-अशोक सिंह ग्राम-कोहरगढ पो0-भोरहोपुर थाना-एकमा जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 99244	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	लीलावती देवी पति-रामचन्द्र शर्मा ग्राम-इद्रवा पो-थावे थाना+जिला-गोपालगज एम0सी0एस-जी0 1345	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	रानी देवी पति-छोटे महतो ग्राम-दाहुचक नगला पो0-माधव मिल्स थाना मालसलामी जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 702	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	जुमराती मिया पिता-मोहरम मिया ग्राम-मिर्जापुर पो0-उस्ती थाना-बनियापुर जिला-सारण एमसी0एस-जी0 1652	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	गुल सनोवर पति-मरगुब आलम ग्राम-सुन्दरबारी पो0-सोन्था थाना-कोचा धामन जिला-किशनगज एमसी0एस-एफ 95269	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	बोढन पाल पिता-चदन पाल ग्राम-जगरिया चकरमसा पो0-शाहकुड थाना-शाहकुड जिला-भागलपुर एमसी0एस-जी0 1407	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	पुष्पा देवी पति-शत्रुधन सिंह ग्राम-छिनौता पो0-छिनौता थाना-काटेया जिला-गोपालगज एमसी0एस-जी0 1350	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	रिभा कुमारी पिता-अमरेन्द्र सिंह ग्राम-हिच्छापुर पो0-माधोपुर थाना-कोच जिला-गया एमसी0एस-एफ 98380	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	राम किशुन महतो पिता-शिवदानी महतो ग्राम-रघुनदनपुर पो0-रतनपुरा थाना-फुलवरीया जिला-गोपालगज एमसी0एस-एफ 97482	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	केशव कुमार पिता-कुदन कुमार ग्राम-पो0-बीरपुर थाना-बीरपुर पी0एस0 जिला-बेगुसराय एमसी0एस-जी0 2351	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	सत्य नारायण सिंह पिता-यमुना सिंह ग्राम-सेलार कला पो0-लाईन बाजार थाना-फुलवरीया जिला-गोपालगज एमसी0एस-जी0 1336	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	पवित्री देवी पति-बलेश्वर पासवान ग्राम-पडरी पो0-बुढवा थाना-अलौली जिला-खगडिया एमसी0एस-जी0 2532	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	राजदेव साह पिता-परीक्षण साह ग्राम-बगही भेलवा पो0-भेलवा सर्किल थाना-घोडा साहन जिला-पूर्वी चम्पारण एमसी0एस-एफ 92578	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	फुल कुमारी देवी पति-राम उदगार मुखिया ग्राम-पिढवा टोला पोस्ट-उसराहि थाना-देवधा जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 84634	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	राम लक्षण राय पिता-स्व0 रामजोत राय ग्राम-जहागीरपुर शाम पोस्ट-जहागीरपुर शाम थाना-चादपुरा जिला-वैशाली एमसी0एस-जी0 449	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	नीलम देवी पति-शीव दीपक कुमार ग्राम-चिहुटा पो0-बेनीबीघा थाना-बिक्रम जिला-पटना एमसी0एस-एफ 1515	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	बेला झा पति-दयानन्द झा ग्राम-गगद्वार पोस्ट-गगद्वार थाना-अन्धाठरी जिला-मधुबनी एमसी0एस-एफ 99021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	सौरभ कुमार पिता-मोहन प्रसाद ग्राम-जैन ट्रांसपोर्ट पुरानी गोदाम रोड पो0-बडा थाना-कोतवाली जिला-गयाजी एमसी0एस-एफ 95794	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	गुलशन कुमार पिता-राम राज पासवान ग्राम-भरडीहा पोस्ट-भगवानपुर थाना-भगवानपुर जिला-बेगुसराय एमसी0एस-जी0 2325	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	साहेबा खातुन पति-मो० मुख्तार ग्राम-जामनीगुडी वार्ड 7 पोस्ट-पिपरिथान थाना-कुर्ली कोट जिला-किशनगज एमसी०एस-जी० 2178	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	सुरती देवी पति-राजेन्द्र पोद्दार ग्राम-मोहनपुर पो०-गोविंदपुर थाना-मसूरचक जिला-बेगुसराय एमसी०एस-जी० 168	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	मधु कुमारी पति नागेन्द्र प्रसाद ग्राम-भलुआ वार्ड 13 पो०-अकौना थाना-मसौढी जिला-पटना एमसी०एस-जी० 1326	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	लालती देवी पति-श्रीकिशुन राय ग्राम-उसरी पोस्ट-'उसरी बाजार थाना-बैकुंठपुर जिला-गोपालगज एमसी०एस-जी० 1789	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	रिकु देवी पति-दिलिप यादव ग्राम-केरवार वार्ड 7 पो०-मथुरा साहेबगज थाना-बेलहर जिला-बाका एमसी०एस-जी० 249	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	अशोक कुमार ठाकुर पिता-स्व० मटुकधारी ठाकुर ग्राम-बेलवा पो०-लौरिया थाना-लौरिया जिला प० चम्पारण एमसी०एस-जी० 2291	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	मास्टर अशुमान कुमार पिता-बिरेन्द्र चौहान ग्राम-पसराहा पो०-पसराहा थाना-ईटाढी जिला-बक्सर एमसी०एस-जी 2448	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	कल्पना कुमारी पिता-श्रीधर प्रसाद यादव ग्राम+पो0-गगापुर थाना-लखनौर जिला-मधुबनी एमसी0एस-जी0 2829	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	इन्द्रावती देवी पति-मिथलेश सिंह ग्राम-कचना पोस्ट-पररिया थाना-सिकटी जिला अररिया एमसी0एस-जी0 1811	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	सुरेन्द्र मडल पिता-स्व0 ठकाई मडल ग्राम-जरैल पोस्ट-परसौना थाना-अरेर जिला मधुबनी एमसी0एस-जी0 2868	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता-स्व0 राम सुरेश सिंह ग्राम+पो0-गोसाईमठ थाना-हरनौत जिला नालदा एमसी0एस-जी0 1966	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	बीबी सजीदा खातुन पति-मो0 शाहनवाज आलम ग्राम-सगुनिया पो0-बटसार थाना-धोरैया जिला-बाका एमसी0एस-एफ 82507	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	बिन्दूला देवी पति-मध्यानन्द झा ग्राम+पो0 गोविन्दपुर थाना-प्रतापगज जिला-सुपौल एमसी0एस-एफ 31504	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
67	केतन प्रवीण पिता-मो0 मन्नान ग्राम-बरहरी पोस्ट-पोखरिया थाना-सदर जिला-पूर्णिया एमसी0एस-एफ 99183	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	मोमनी देवी पति-योगेन्द्र पासवान ग्राम-खैरा गढिया वार्ड 13 पोस्ट-खगरा चदा थाना-नरपतगज जिला-अररिया एमसी0एस-जी0 173	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	इजहारुण खातुन पति-मो0 जियाउद्दीन ग्राम-सिररही पोस्ट-लगमा थाना-सोनवर्षा जिला-सहरसा एमसी0एस-एफ 83462	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	मृदुला देवी पति-सुनील कुमार सिंह ग्राम-पहसारा पोस्ट-पहसारा बभनगामा थाना-नावकोठी जिला-बेगुसराय एम0सी0एस0 न0-एफ 99419	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	मेजबुल रहमान पिता-ममदीन ग्राम-सिमलबाडी पो0-मेहरगज थाना बहादुरगज जिला-किशनगज एम0सी0एस0न0-जी0 1818	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	हरिहर मांझी पिता-स्व0 मैना मांझी ग्राम-सिरिसिया पोस्ट-सिरिसिया थाना-नौतन जिला-सीवान एम0सी0एस0 न0-जी0 1719	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	पासपति देवी पति-जमदार सहनी ग्राम+पो0-तेलुहा थाना-नौतन जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस0 न0-एफ 99869	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	रेणु देवी पति-राजेश महतो ग्राम+पो0-झंझारपुर थाना-झंझारपुर जिला-मधुबनी एम0सी0एस-जी0 1457	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	गीता देवी पति-श्याम प्रसाद सिंह ग्राम-कोईरी बीघा पो0-जट डुमरी थाना-पुनपुन जिला-पटना एम0सी0एस0 नं0-जी0 1709	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	हीरमती देवी पति-बालेश्वर ठाकुर ग्राम-कुशहर वार्ड 3 पो0-झझवा बाजार थाना-महम्मदपुर जिला-गोपालगंज एम0सी0एस0 नं0-एफ 83027	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	विश्वनाथ कुमार मडल पिता-बबलु मडल ग्राम-चिलमिलिया पोस्ट-दामु थाना-बासोपट्टी जिला-मधुबनी एम0सी0एस0 नं0-एफ 98995	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	सध्या कुमारी पिता-नन्द कुमार दास ग्राम-अकिलपुर पो0-अकिलपुर थाना-अकिलपुर जिला-सारण एम0सी0एस0 नं0-जी0 2416	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	आयाश कुमार पिता-इन्द्रदेव कुमार ग्राम-खडगी तिरासी पो0-खडगी तिरासी थाना-गगौर जिला-खगडिया एम0सी0एस0 नं0-जी0 2679	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	दिनेश प्रसाद यादव पिता-हरि लाल यादव ग्राम-महियारपुर पो0-सौठा थाना-जलालगढ़ जिला-पूर्णिया एम0सी0एस0 नं0-जी0 1390	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	सुनील कुमार पिता- ब्रह्मदेव मडल ग्राम-जमालपुर गोगरी माली टोला 15, पो0-जमालपुर थाना-गोगरी जिला-खगडिया एम0सी0एस0 नं0-जी0 1453	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	मो० तनवीर आलम पिता-मो० शफी अहमद ग्राम-बनौलीया वार्ड 32 पो०+थाना-बिहार शरीफ जिला-नालदा एम०सी०एस-जी० 298	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	फैयाज मसुर पिता-जिन्नात मसुर ग्राम-महेशपुर वार्ड 12 पो०-ईशीपुर थाना-ईशीपुर जिला-भागलपुर एम०सी०एस० न०-एफ 99855	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	सुकट साह पिता-माया साह ग्राम-मुजौना पो०-अन्जुआ थाना-शिकारपुर जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस० न०-जी० 2699	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	सोनम कुमारी पति- मोहन कुमार ग्राम- केवली पो०-गौरा थाना-लक्ष्मीपुर जिला- जमुई एम०सी०एस० न०-जी० 1168	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	मीरा देवी पति-श्रीकांत मुखिया ग्राम+पो०-सिहार थाना- आलम नगर जिला- मधेपुरा एम०सी०एस-जी० 1674	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	अनोज कुमार साह पिता- राम प्रसाद साह ग्राम- दासोडीह पोस्ट- पथरा थाना- बाराहाट जिला-बाका एम०सी०एस०न०-जी० 2666	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	विजय मिस्त्री पिता-बच्चन मिस्त्री ग्राम- बाराटेनी पोस्ट-लश्करी थाना उदाकिशुनगज जिला- मधेपुरा एम०सी०एस० न०-एफ 94916	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	विजय कुमार सिन्हा पिता- स्व० गणेश महतो ग्राम- चौराई वार्ड 1 पोस्ट- एकगर सराय थाना- औगारी जिला- नालदा एम०सी०एस० न०-जी० 1984	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	बबन कुमार मिश्रा पिता- विशेषवर मिश्रा ग्राम- अमावा पो०- बशगोपाल थाना- रजौली जिला- नवादा एम०सी०एस० न०-एफ 49413	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	रुको देवी पति- भुनेश्वर यादव ग्राम-अचरा पोस्ट- अचरा थाना- फुलकाहा जिला- अररिया एम०सी०एस० न०-एफ 90809	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	राम अशीष भगत पिता- कली प्रसाद भगत ग्राम-कुसौधी पोस्ट-कुसौधी थाना- मीरगज जिला- गोपालगज एम०सी०एस० न०-एफ 97533	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	प्रिति कुमारी पति- प्रवीण कुमार झा ग्राम- गाँधी नगर अशियाना पोस्ट- आशियाना नगर थाना-राजीव नगर जिला- पटना एम०सी०एस० न०-जी० 2481	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	विकास कुमार सिंह पिता- रामचन्द्र सिंह ग्राम+पो०- परसौनी वाजिद थाना-कल्याणपुर जिला- पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस० न०-जी० 1494	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	रसूल मसुरी पिता-मसूर मसुरी ग्राम-ब्रहापुरा पो०-घोघरडीहा थाना-फुलपरास जिला मधुबनी एम०सी०एस०न०- जी० 2135	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

96	किरण देवी पति- रविन्द्र पासवान ग्राम- चौवारी पो0- बिन्दा थाना- मोहनपुर जिला- गया एम0सी0एस0 न0-एफ 89522	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	चादनी देवी पति-हीरा लाल सहनी ग्राम- रामपुर बखरी पो0- बसंतपुर बखरी थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर एम0सी0एस0 न0-जी0 2287	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	ज्योती श्रीवास्तव पिता सजय कुमार ग्राम- रघुवर नगर बाघा पोस्ट- सुर्हिद नगर थाना- बेगुसराय टाउन जिला- बेगुसराय एम0सी0एस0 न0-जी0 954	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	पानमती देवी पति-नगीना बैठा ग्राम- काधगोपी पोस्ट- बढेयों थाना- मीरगज जिला- गोपालगज एम0सी0एस0 न0-जी0 2744	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	सतोष कुमार भगत पिता- स्व0 बैजनाथ भगत ग्राम+पो0-मुरलीगज थाना- मुरलीगज जिला- मधेपुरा एम0सी0एस0 न0-जी0 1688	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	गुडिया देवी पति- सतोष महतो ग्राम-परशुरामपुर पो0-मस्तीचक थाना- दरियापुर जिला- सारण एम0सी0एस0न0-जी0 440	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	चन्दन कुमार पिता- उमा शकर ग्राम-छितरचक पोस्ट- पहलेजा थाना- सोनपुर जिला- सारण एम0सी0एस0 न0- एफ 86359	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

103	शिव नन्दन यादव पिता-स्व० कारु यादव ग्राम- वार्ड न०-05, पो०-पचमाह थाना-बाके बाजार जिला- गया एम०सी०एस० न०-एफ 83761	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	रविन्द्र कुमार निराला पिता- भागवत सिंह ग्राम- नुरीचक पोस्ट- बौरी थाना- काशीचक जिला- नवादा एम०सी०एस० न०- जी० 2133	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	उर्मिला देवी पति- स्व० राम प्रकाश महतो ग्राम- दाहुचक नगला पो०- माधव मिल्स थाना- मालसलामी जिला- पटना एम०सी०एस०-जी० 1627	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	अवधेश रविदास पिता-एतवारी रविदास ग्राम-अली नगर पोस्ट+थाना बिहार शरीफ जिला- नालदा एम०सी०एस० न०-जी० 1553	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	लालजी यादव पिता- शिवधारी यादव ग्राम- धनपुरा पोस्ट-माधोपुर थाना- जी० बी० नगर जिला- सीवान एम०सी०एस०-जी० 1165	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	राम कुमारी देवी पति-चन्द्रिका प्रसाद सिंह ग्राम-सुर्यपुरा पोस्ट-कर्जन थाना-अथमलगोला जिला-पटना एम०सी०एस०-90892	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
109	चन्द्रधन शर्मा पिता-स्व० सुखदेव शर्मा ग्राम-मनोरा पो०- ओबरा थाना-ओबरा जिला-औरंगाबाद एम०सी०एस०-एफ 52654	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

110	रीनु पति-उपेन्द्र कुमार चौधरी ग्राम-मल्लाहचकिया पोस्ट-बक्सर जेल थाना-मुफ्फसिल जिला-बक्सर एम0सी0एस0 न0-जी0 1448	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
111	किरण देवी पति- अरुण साह ग्राम- डुमरी पो0-अचलपुर थाना- राघोपुर जिला- सुपौल एम0सी0एस0 न0-जी0 172	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	रघुवश सिंह पिता-सहदेव सिंह ग्राम+पो0-बसतपुर थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली एम0सी0एस0 न0-जी0 1637	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
113	नवल राय पिता-बुद्धी राय ग्राम-लक्ष्मीपुर कनुआही पोस्ट-पडौल थाना-पडौल जिला-मधुबनी एम0सी0एस0 न0-एफ 93455	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	सुलेखा देवी पति-छुतहरु साह ग्राम-जदिया पो0-जदिया थाना-जदिया जिला-सुपौल एम0सी0एस0 न0-एफ 99400	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	विनय कुमार पिता-श्याम नन्दन राय ग्राम-असकरणपुर पो0-बौएरा थाना-सराय जिला वैशाली एम0सी0एस0 न0-जी0 1130	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
116	सततन सिंह पिता-गुलट सिंह ग्राम-तेलिहार पो0-राम नगर थाना-बेलदौर जिला-खगडिया एम0सी0एस0 न0-जी0 1351	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

117	मीना देवी पति-इन्द्रदेव प्रसाद ग्राम-सोहाजना पो0-सुहावनपुर सुडी थाना-इस्लामपुर जिला नालदा एम0सी0एस-जी0 579	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
118	सुरेन्द्र यादव पिता-स्व0 लखन यादव ग्राम-बरन्डीहा पोस्ट-भलुआ थाना-बाराचट्टी जिला-गया एम0सी0एस0 न0-एफ 99332	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
119	रामफा देवी पति-गेना लाल शर्मा ग्राम-बालुगज पोस्ट-किरोरा थाना-बलरामपुर जिला-कटिहार एम0सी0एस0न0-जी0 2454	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
120	निलम देवी पति-सत्येन्द्र नारायण सिंह ग्राम-रामचौरा पो0-राम चौरा थाना-इसुआपुर जिला सारण एम0सी0एस0 न0-जी0 1834	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
121	रामदीप कुमार पिता-कबिराज सिंह ग्राम-सादीपुर पोस्ट-पुरनाडीह थाना-ओबरा जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस0 न0-जी0 2709	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	ओम साव पिता-गोपाल साव ग्राम+पो0-मुसाढी थाना चिकसौरा जिला-नालंदा एम0सी0एस0 न0-जी0 1017	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
123	सिरातो देवी पति-जगलाल माझी ग्राम-मझवलीया पोस्ट-मजलीशपुर थाना-कोपा जिला-सारण एम0सी0एस0 न0-जी0 1253	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

124	रेखा देवी पति-जसवत कुमार सिंह ग्राम+पो0-किशनपुर बैकुठ थाना-वारीस नगर जिला समस्तीपुर एम0सी0एस0 न0-जी0 1877	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
125	मीनार देवी पति रघुनाथ राम ग्राम-डेढुआ पोस्ट-सुक्की थाना पातेपुर जिला वैशाली एम0सी0एस0 न0-जी0 2124	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
126	शांति देवी पति-सुरेश महतो ग्राम-धिमोय पो0-गोपालपुर थाना-हरनौत जिला नालदा एम0सी0एस0न0-एफ 50752	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
127	लीलावती देवी पति-जग लाल ग्राम-सुदरा पो-बरनावो थाना आयर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 65160	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	मीना देवी पति-धर्मदेव पासवान ग्राम-चकसलेम पोस्ट-पटोरी थाना-शाहपुर जिला-समस्तीपुर एम0सीएस-एफ 70382	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
129	राम प्रताप पासवान पिता-चलाई पासवान ग्राम-भगवानपुर कमला वार्ड 10 पो0-भगवानपुर कमला थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 91111	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
130	झामलाल मडल पिता-दुखी मडल ग्राम+पो0 जगतपुर थाना-फुलपरास जिला मधुबनी एम0सी0एस-जी0 839	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

131	सलीम असारी पिता-मो० निजामुद्दीन असारी ग्राम-हसबाडीह पोस्ट-हसबाडीह थाना-पीरो जिला-भोजपुर एम०सी०एस- जी० 2874	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
132	गुलचमन आरा पति-मो० शोहिब आलम ग्राम-झवारी पोस्ट-झवारी थाना-जलालगढ जिला-पूर्णिया एम०सी०एस-जी० 1329	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
133	उदय कुमार सिंह पिता-स्व० जगदीश सिंह ग्राम-टकुआटाड पो०-रजौली थाना-रजौली जिला-नवादा एम०सी०एस-ई० 66788	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
134	शीला कुवर पति- स्व रामनगर ओझा ग्राम- चैन छपरा इग्लिशपुर पो०- एकावना थाना- बडहरा जिला- भोजपुर एमसीएस न०- एफ 97805	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
135	सुन्दरबासो देवी पति- रामा राय ग्राम- कोइलवर वार्ड 08 पो०+थाना- कोइलवर जिला- भोजपुर एमसीएस न०- जी 1694	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
136	पार्वती देवी पति- कारु सिंह ग्राम- बघार पो०- चरुई पर थाना- नूरसराय जिला- नालदा एमसीएस न०- जी 2652	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

137	सोनी कुमारी पति- शिशुवत राय ग्राम- बादराबाद पो0- मदनपुर थाना- एकगर सराय जिला- नालदा एमसीएस न0- एफ 60701	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,09,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,09,40,000/- (एक करोड़ नौ लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196992 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

2636(14)

पटना, दिनांक

16/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196992 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सतयनारायण साह पिता- रामतपास्या साह ग्राम+पो0- बाद थाना- काराकाट जिला- रोहतास सीआर न0- 108112500858361	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	शकुरा खातून पति- शेख सफी ग्राम- बधाइया टोला वार्ड 05 पो0- महानवा रामपुरवा थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112501244774	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मिथलेश देवी पति- राजेद्र पासवान ग्राम- गढवा विशनपुर वार्ड 14 पो0- पचहरवा थाना- मजोरगज जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112401230792	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	किशोरी देवी पति- भैरो साह ग्राम- चैता वार्ड 05 पो0- चैता थाना- पकडीदयाल जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112501953261	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	कमला शर्मा पति- शिव कुमार शर्मा ग्राम+पो0- खजुरी थाना- नौबतपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112300556654	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	रामसजन राय पिता- गोपाली राय ग्राम- कटारू चकमहमद पो0- गोरौल थाना- बेलसर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112301079469	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	अजय राम पिता- मनोज राम ग्राम- कटघरा पो0- भटौरा थाना- हथौडी जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112403810893	हीप रिप्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
8	लालझरी देवी पति- शिवचंद्र यादव ग्राम- चमुआ वार्ड 10 पो0- सैदपुर थाना- शिकारपुर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112300054730	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मजू देवी पति- सुधीर सिंह ग्राम- रामसापुर वार्ड 11 पो0- खरिका थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर न0- 108112300907392	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	विनय कुमार सहनी पिता- चंद्रदेव सहनी ग्राम- शेख डुमरी वार्ड 09 पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर न0- 108112300972071	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	सत्येन्द्र कुमार पिता- जयराम महतो ग्राम- गंगटी वार्ड 04 पो0- मलहद थाना- बदेया जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112500382154	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	मनिषा कुमारी पिता— सुरेंद्र साह ग्रा— बिशनपुर वार्ड 11 पो0— खरागपुर थाना— सोनवर्षा जिला— सहरसा सीआर न0— 108112500883137	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	सुबोध कुमार पिता— धनश्याम साह ग्राम— तैतरहार वार्ड 10 पो0+थाना— कजरैली जिला— भागलपुर सीआर न0— 108112502074937	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	सुशील यादव पिता— दया कांत यादव ग्राम— नारायणपुर वार्ड 03 पो0— नारायणपुर थाना— नवहट्टा जिला— सहरसा सीआर न0— 108112502167293	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सब्यसाची कुमार पिता— स्व0 रामलखन सिंह ग्राम— बरार पो0— अरे थाना— अतरी जिला— गयाजी सीआर न0— 108112501626324	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सावित्री देवी पति— स्व0 राम कृष्ण महतो ग्राम— सिधौल वार्ड 01 पो0+थाना— सिधौल जिला— बेगूसराय सीआर नं0— 108112403581479	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	सुनील मडल पिता— मानोगी मडल ग्राम— मिल्की नवाबगज पो0— बल्थी महेशपुर थाना— कुर्सेला जिला— कटिहार सीआर न0— 108112502390251	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	खुदनेश्वर राय पिता— आमिर राय ग्राम— हरपुर भिडी वार्ड 03 पो0— हरपुर भिडी थाना— ताजपुर जिला— समस्तीपुर सीआर न0— 108112500451687	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	शिव कुमारी देवी पति- लाल बाबू सिंह ग्राम- देवमार्कडे वार्ड 05 पो0- देव थाना- काराकाट जिला- रोहतास सीआर नं0- 108112501759383	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	जीतेन्द्र कुमार महतो पिता- भरत महतो ग्राम+पो0- बसतपुर थाना- अमनौर जिला- सारण सीआर न0- 108112502193430	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	मोनालिशा देवी पति- अविनाश प्रसाद ग्राम- राढी वार्ड 11 पो0- राढी थाना- जाले जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112501224170	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	सगीता कुमारी पति- नन्द किशोर प्रसाद ग्राम- कफरपुर वार्ड 02 पो0- बेरका थाना- उमता धरनई जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112502043811	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	मुनीलाल पासवान पिता- लालू पासवान ग्राम- रंदाहा वार्ड 13 पो0- बालाटाड थाना- राजापाकर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112501208085	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	राम एकवाल राय पिता- बसो राय ग्राम- माधोपुर दिघरूआ वार्ड 13 पो0- माधोपुर दिघरूआ थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112501032413	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	कान्ति कुमारी पिता- स्व0 उग्रह राम ग्राम- जगदीशपुर पूरब मुहल्ला वार्ड 18 पो0+थाना- जगदीशपुर जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112501208291	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	मुन्नी देवी पति- गौरी शकर ठाकुर ग्राम+पो0- सुल्तानपुर थाना- देसरी जिला- वैशाली सीआर नं0- 108112300918629	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	बिलाश साह पिता- भीखन साह ग्राम- सोनपुरा वा र्ड 07 पो0- सोनपुरा थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा सीआर न0- 108112502061444	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	प्रमिला देवी पति- योगेश्वर साह ग्राम- कोशकीपुर वार्ड 11 पो0- मदरौनी थाना- रगरा जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112501944440	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	सीता देवी पति- सजय उराव ग्राम- चपहारी वार्ड 09 पो0- चपहारी थाना- रूपौली जिला- पूर्णियाँ सीआर नं0- 108112301261232	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	पिकी देवी पति- प्रदीप पासवान ग्राम- मलिकपुर वार्ड 02 पो0- मलिकपुर थाना- करायपरसुराय जिला- नालदा सीआर न0- 108112501974811	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	राम प्रवेश राम पिता- स्व0 जुगल राम ग्राम- बडकी अकौना वार्ड 12 पो0- छोटकी अकौना थाना- घोषी जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112501504687	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	मो0 शफीक पिता- बदरुद्दीन ग्राम- सुन्दरपुर वार्ड 07 पो0+थाना- पीरपैती जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112502181679	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	भूषण प्रसाद सिंह पिता- नरेश सिंह ग्राम- बजरा पो0+थाना- हिसुआ जिला- नवादा सीआर न0- 108112501790493	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	सजू देवी पति- अमरनाथ कुमार ग्राम- चकबीबी वार्ड 13 पो0- बिदुपुर थाना- राजापाकर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112502147888	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	हेमा देवी पति- पवन कुमार यादव ग्राम- भारतीय नगर वार्ड 26 पो0+थाना- सहरसा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112501786216	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	मिथुन कुमार पिता- राम प्रवेश मडल ग्राम- रूपोहुआ वार्ड 05 पो0- राजाडीह थाना- टेटिया बम्बर जिला- मुगेर सीआर न0- 108112500834497	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	दुलारी देवी पति- श्रीकांत सिंह ग्राम- रामपुर वार्ड 01 पो0- कुम्हवा थाना- कल्पा जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112502125655	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	कुलदीप कुमार पिता- सुरेश महतो ग्राम- दातापुर पचभिडवा वार्ड 09 पो0- मधौल थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112502196188	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	फुलो देवी पति- बमबहादुर साह ग्राम+पो0- थुमहा थाना- पिपरा जिला- सुपौल सीआर न0- 108112501765286	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	सुबोध कुमार पिता- लालबहादुर महतो ग्राम+पो0- मोक्तियारपुर थाना- दलसिहसराय जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112501730016	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	अमन कुमार लाल पिता- सुरेश कुमार सुमन ग्राम- कटही पो0- महम्मदगज थाना- राजेश्वरी जिला- सुपौल सीआर न0- 108112502357289	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	बिरेद्र प्रसाद सिंह पिता- जयनारायण सिंह ग्राम- हरखपुरा पो0+थाना- तरैया जिला- सारण सीआर न0- 108112501918082	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	सीमा देवी पति- साकेत कुमार ग्राम- आरएमएस कॉलोनी वार्ड 32 पो0- लोहियानगर थाना- ककडबाग जिला- पटना सीआर न0- 108112502366644	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	नन्दन कुमार साहु पिता- हिरा लाल साहु ग्राम+पो0- बधत थाना- मनगाछी जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112502165843	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	मनचन पडित पिता- पुण्डेव पडित ग्राम+पो0- बन्दार थाना- निमाचदपुरा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112501803889	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	रकीमा खातून पति- मो0 फिरोज आलम ग्राम- हरिपुर बरदही वार्ड 10 पो0+थाना- सिकटा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112501803706	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	राम कुमार रमन पिता- कपलेश्वर महतो ग्राम- काटमाखोर वार्ड 10 पो0- हरभगा थाना- लखनौर जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112501719667	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	जोगो यादव पिता- सदानंद यादव ग्राम- तेहरा वार्ड 08 पो0- महुआ बाजार थाना- बसनही जिला- सहरसा सीआर न0- 108112501860637	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	राजकिशोर यादव पिता- सरयुग यादव ग्राम+पो0- चित्ती थाना- घैलाढ जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112501394318	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	इदेश देवी पति- रामबाबू यादव ग्राम- विशनपुर वार्ड 11 पो0- खाजेडीह थाना- लदनियों जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112502196579	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	कलावती देवी पति- कलक्टर सिंह ग्राम- कचनाथ वार्ड 14 पो0- पचरुखिया थाना- पीरो जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112502125922	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	रुक्मिणी देवी पति- जनार्दन पाल ग्राम- दरियापुर वार्ड 04 पो0- हासपुर थाना- नयागाव जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112502289640	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	रमन मुखिया पिता- किशोरी मुखिया ग्राम- मधुरापुर वार्ड 08 पो0- मधुरापुर थाना- बाजपट्टी जिला- सीतामढ़ी सीआर न0- 108112502459375	ब्रेन ट्यूमर/कै सर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	रमेश रावत पिता— बिदेश्वरी रावत ग्राम+पो0— काशमिर थाना— खैरा जिला— जमुई सीआर न0— 108112502371427	स्पाईन सर्जरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	अभिराज कुमार पिता— मोहन यादव ग्राम— लक्ष्मनवा पो0— बडहरवा कला थाना— कोटवा जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर न0— 108112400987199	कोकलियर इम्प्लान्ट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
56	सुरभी कुमारी पिता— कृष्ण मुरारी ग्राम— किनोडीहारी वार्ड 08 पो0— नगरी थाना— चरपोखरी जिला— भोजपुर सीआर न0— 108112402895887	कोकलियर इम्प्लान्ट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
57	सितम्बर यादव पिता— रबी यादव ग्राम— नहास रूपौली वार्ड 03 पो0— नहास रूपौली थाना— बिस्फी जिला— मधुबनी सीआर न0— 108112501988382	Cataract Surgery	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
58	फुलझरी देवी पति— हरि प्रसाद ग्राम— चिरान्द वार्ड 10 पो0— चिरान्द थाना— डोरीगज जिला— सारण सीआर न0— 108112501252378	Cataract Surgery	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
59	हेमत कुमार पिता— भगवान दास ग्राम— मधु होमियो ऑल टेकारी रोड वार्ड 20 पो0— हेड पोस्ट ऑफिस थाना— कोतवाली जिला— गयाजी सीआर न0— 108112501448388	Cataract Surgery	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
60	मनोज कुमार साह पिता— जोगी साह ग्राम— बहादुरपुर अरमौली वार्ड 09 पो0— खजुरी थाना— घटहो जिला— समस्तीपुर सीआर न0— 108112502059661	हीप रिप्लेसमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

61	सुशील राय पिता- लक्ष्मी राय ग्राम- रानीपट्टी पो0+थाना- राजेपुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112502333444	हीप रिप्लेसमेंट	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
62	बन्टी कुमार पिता- जनार्दन पंडित ग्राम- डुमरावा वार्ड 04 पो0- अबदाचक थाना- अस्थवा जिला- नालदा सीआर न0- 108112502207341	स्पाईन सर्जरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	रुजीत मिस्त्री पिता- डोमन मिस्त्री ग्राम- शहरू वार्ड 09 पो0+थाना- धनरूआ जिला- पटना सीआर नं0- 108112501845051	हृदय रोग सीएबीजी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
64	राज किशोर शर्मा पिता- रामप्रवेश शर्मा ग्राम- गौरा जगदीशपुर पो0- दरियापुर थाना- नौबतपुर जिला- पटना सीआर नं0- 108112502368744	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	प्रमिला देवी पति- स्व0 राम नगीना सिंह ग्राम- रूपस मरुआहि पो0- काला दियारा थाना- सालिमपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112403004536	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
66	रामता राम पिता- स्व0 हरिद्वार राम ग्राम- खडेज पो0- धनेज थाना- करगहर जिला- रोहतास सीआर न0- 108112501628831	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			57,95,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 57,95,000/- (सन्तावन लाख पन्चानवे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196182 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना”खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।

3

गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4

गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

5

यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6.

यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7.

स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2637(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलर्न चेक सं० 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रीता देवी पति- रंजीत राम ग्राम- गढी बिसनपुर वार्ड 08 पो०- किउल थाना- लखीसराय जिला- लखीसराय	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-“निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना” खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसूली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2638 (14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 176993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अमरजीत कुमार पिता- भिखारी चौधरी ग्राम- सुल्तानपुर पो०- पडरिया थाना- बघैला जिला- रोहतास	ट्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	शहादत आलम पिता- रफिक आलम ग्राम- केसो जारा वार्ड 12 पो०- रायपुर थाना- अराबाडी जिला- किशनगंज	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	रूपम कुमारी पति- शैलेन्द्र कुमार ग्राम- होरलपट्टी वार्ड 11 पो०- आनंदपुर थाना- अशोक पेपर मिल जिला- दरभंगा	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	मो० जलाल पिता- मो० यासीन ग्राम+पो०- दाउदनगर थाना- वैशाली जिला- वैशाली	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	मो० निसार अहमद पिता— मो० कमरुद्दीन ग्राम— इनयात कॉलोनी बारी रोड पो०— हेड पोस्ट ऑफिस थाना— सिविल लाइन जिला— गया	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	मो० मसूद आलम पिता— मो० यूनूस ग्राम— नया टोला वार्ड 10 पो०— मिर्जापुर थाना— बौंसी जिला— अररिया	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	पानफुल खातून पति— मो० मेकाईल ग्राम— दोगीरजा वार्ड 06 पो०— मगुरा थाना— दिघलबैंक जिला— किशनगज	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
8	नीरू देवी पति— अनिल मिस्त्री ग्राम— बिक्रम बगलापर वार्ड 07 पो०+थाना— बिक्रम जिला— पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	दुर्गानंद गुप्ता पिता— स्व० लक्ष्मी गुप्ता ग्राम— नगर पचायत रानीगज वार्ड 13 पो०— मेरीगज थाना— रानीगज जिला— अररिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	रोहित पिता— रामजी प्रसाद ग्राम— लव कुश भवन अवधपुरी चदवा मोड पो०— नवादा थाना— आरा नवादा जिला— भोजपुर	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
11	बहादुर राम पिता— रामनाथ राम ग्राम— इटवा पो०— करूप थाना— काराकाट जिला— रोहतास	हीप रिप्लेसमेंट(L)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
12	अरुण कुमार पिता— सुनील सिंह ग्राम— सहादी पो०— पुरैना थाना— अमनौर जिला— सारण	हीप रिप्लेसमेंट(L)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

13	चन्द्रकला देवी पति- शैलेन्द्र यादव ग्राम- सोसाइटी टोला पो0- मथार थाना- मुफसिल जिला- खगडिया	हीप रिप्लेसमेट(L)	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
14	शर्मिला देवी पति- रविन्द्र राउत ग्राम- जयदेव सिरिसिया पो0- हुसेपुर थाना- अमनौर जिला- सारण	वन हीप रिप्लेसमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
15	गीता देवी पति- लक्ष्मीकात शुक्ला ग्राम- फतेहाबाद पो0- सेन्दुरी थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
16	रुक्मिणी देवी पति- लाल बाबू प्रसाद ग्राम- हजाम टोली पो0- हेड पोस्ट ऑफिस थाना- नगर जिला- मुजफ्फरपुर	नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
17	लालती देवी पति- राम धनी साव ग्राम- चीपुरा कला पो0- चीपुरा खुर्द थाना- गौरीचक जिला- पटना	नी रिप्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
18	मीरा देवी पति- अशोक प्रसाद केशरी ग्राम- ईस्ट इदिरा नगर पो0- लोहिया नगर थाना- ककडबाग जिला- पटना	वन नी रिप्लेसमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
19	बासो साह पिता- चापु साह ग्राम+पो0- नौला थाना- भगवानपुर जिला- बेगूसराय	वन नी रिप्लेसमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
20	अभिराज कुमार पिता- पप्पू कुमार ग्राम- सिलौथर वार्ड 15 पो0- कालापहाड थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	कोकलियर इम्प्लान्ट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।

21	अबान गुलशेर पिता- गुलशेर अहमद ग्राम- झुमका पो0- बेहरा थाना- सिकटा जिला- पश्चिम चम्पारण	कोकलियर इम्प्लांट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
22	ओम कुमार पिता- मुकेश कुमार ग्राम- गगसारा वार्ड 11 पो0- गगसारा थाना- सरायरजन जिला- समस्तीपुर	कोकलियर इम्प्लांट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
23	मगल प्रसाद यादव पिता- स्व0 मिठु राय ग्राम- महम्मदपुर पो0- इनाई थाना- रिविलगज जिला- सारण	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	रजय यादव पिता- लाला यादव ग्राम- परुरा वार्ड 11 पो0- परुरा रामपुर थाना- सदेस जिला- भोजपुर	ब्रेन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
25	गोविदा कुमार पिता- दर्शाई साह ग्राम- तुरकौलिया पो0- करसहिया थाना- ढाका जिला- पूर्वी चम्पारण	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
26	श्याम बिहारी पिता- स्व0 विनोद प्रसाद ग्राम+पो0- बदी थाना- कतरीसराय जिला- नालदा	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
27	सुधीर शर्मा पिता- दिनेश शर्मा ग्राम- भेरामोड पो0+थाना- बाराहाट जिला- बांका	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
28	विवेक कुमार पिता- अनिरुद्ध रजक ग्राम- जयसिंहपुर पो0- गोविंदपुर बेला थाना- बलिगाव जिला- वैशाली	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

29	अजय कुमार पिता- स्व० राम भारत प्रसाद ग्राम+पो०- दिहुली थाना- दुल्हिन बाजार जिला- पटना	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
30	विनय कुमार प्रसाद पिता- बीरन प्रसाद ग्राम- रामपुर महेश पो०- चोरमा थाना- भगवानपुर हाट जिला- सिवान	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
31	आशीष राज पिता- हजारी प्रसाद साह ग्राम- सिपाही टोला पो०- पूर्णियाँ थाना- कै हाट जिला- पूर्णियाँ	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
32	अनीता कुमारी पिता- रवींद्र कुमार ग्राम+पो०- नदवा थाना- धनरूआ जिला- पटना	प्लास्टिक सर्जरी	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
33	इंद्रदेव यादव पिता- सिकेद्र यादव ग्राम- हुसैनचक वार्ड 01 पो०- महखर थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा	Severe Autoimmune Encephalitis disease	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
34	नेपाली प्रसाद गुप्ता पिता- धनुष धारी साव ग्राम- माडनपुर मोड पो०- चौद चौरा थाना- विष्णुपद जिला- गयाजी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	शकर तिवारी पिता- जगमोहन तिवारी ग्राम- पीपराडीह पो०- चिटोखर थाना- नासरीगज जिला- रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			36,85,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 36,85,000/- (छत्तीस लाख पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का

नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड स0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2639(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
कंकडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजय कुमार पिता- महावीर भगत ग्राम- पेठिया बाजार बेहिश्ती मोहल्ला पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 1,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम- "राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड स0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार

निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2640(14)

पटना, दिनांक

16/9/2025

प्रतिलिपि:- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक. . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शोएब मंसूरी पिता- साबिर मंसूरी ग्राम+पो०- मधुरापुर थाना- फेनहरा जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी नं०- 3000567608	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	अक्षय कुमार सिंह पिता- स्व० हरिनंदन सिंह ग्राम- देवापुर वार्ड 11 पो०- देवापुर थाना- बरौली जिला- गोपालगंज यूएचआईडी नं०- 3000276535	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	नीरज कुमार गिरी पिता- अनिरुद्ध गिरी ग्राम- खुगुनी पो०- परसौना मदन थाना- रामगढवा जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी नं०- अंकित नहीं है।	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	अमरजीत कुमार पिता- शैलेन्द्र कुमार ग्राम- करिहा वार्ड 12 पो०- विशनपुर बेझा थाना- महुआ जिला- वैशाली यूएचआईडी नं०- 3000594742	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	खतिजन निशा पति- एहशानुलहक ग्राम- रसूलपुर खिडिकिया पो०- सुतिहार थाना- डेरनी जिला- सारण यूएचआईडी नं०- 3000595901	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	मास्टर विवेक कुमार पिता- अमरजीत राय ग्राम- गोपीनाथपुर दोघरा पो0+थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर यूएचआईडी न0- 30005155335	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	खैरुन निशा पति- सेरुदीन ग्राम- मिराभिट्टा वार्ड 06 पो0- खरुदाह थाना- पौआखाली जिला- किशनगंज यूएचआईडी नं0- 3000597913	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	जाकिर हुसैन पिता- मो0 महफूज आलम ग्राम- हरुवाडांगा पो0+थाना- दधिलबैक जिला- किशनगंज यूएचआईडी न0- 3000591595	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	कचन देवी पति- सुरेंद्र यादव ग्राम- कन्हैली वार्ड 03 पो0- कन्हैली थाना- नरपतगंज जिला- अररिया यूएचआईडी नं0- 3000594949	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	वीणा कुमारी पति- रजीत कुमार ग्राम- पवई वार्ड 16 पो0- पवई थाना- सूर्यगढा जिला- लखीसराय यूएचआईडी न0- 3000542548	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	उदय शंकर कुमार पिता- ध्रुप नारायण सिंह ग्राम+पो0- गोरखरी थाना- बिक्रम जिला- पटना यूएचआईडी न0- 3000594518	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	विजेन्द्र कुमार पिता- रामाश्रय प्रसाद ग्राम- नवादा पो0- महम्मदपुर थाना- एन0टी0पी0सी0 जिला- पटना यूएचआईडी न0- 3000566268	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	सहाम अंसारी पिता- बाबूजान अंसारी ग्राम- नियर मस्जिद मेहता टोला वार्ड 07 पो0- मेहता टोला थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न0- 3000572681	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

14	कलशी देवी पति- जुगेश्वर प्रसाद ग्राम- खासगंज वार्ड 09 पो0+थाना- शोहसराय जिला- नालंदा यूएचआईडी नं0- 3000463377	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			11,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,20,000/- (ग्यारह लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 264/(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 176993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई पी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सो 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 10.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शाहीना खातुन पति- अलाउद्दीन ग्राम- चकलारसा पो०- बभना थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद	नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	रीता देवी पति- श्याम सुन्दर रजक ग्राम- जलालपुर पो०- खानपुरा थाना- गिरियक जिला- नालदा	स्पाइन सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	मिना देवी पति- जय कुमार ग्राम- मायापुर पो०- कठोतिया थाना- बदेया जिला- औरंगाबाद	स्पाइन सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	आस्था कुमारी पिता- कुमार कृष्णा कांत ग्राम- राघोपुर पो०+थाना- बिहटा जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	प्रियांशु कुमार पिता- अनूप कुमार ग्राम- महाराणा प्रताप नगर पो०+थाना- आरा नवादा जिला- भोजपुर	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	रागिनी देवी पति- विनोद कुमार सिंह ग्राम- साधपुर पो0- जमनपुरा थाना- दाउदपुर जिला- सारण	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	अभय कुमार पिता- मिथलेश प्रसाद ग्राम- नारायणपुर पो0+थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद	स्पाईन सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	मो0 इमरान पिता- अब्दुल रहीम ग्राम चन्द्रदेई पो0थाना- अररिया जिला- अररिया	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
9	रामनाथ ठाकुर पिता- रामप्रसाद ठाकुर ग्राम- बसंतपुर पो0- पिरारी थाना- मैनाटाड जिला- पश्चिम चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
10	छोटू कुमार पिता- सकिंद्र यादव ग्राम- गोगरी पर पो0- हारगवा थाना- मानपुर जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
11	मास्टर सत्यम कुमार पिता- कुदन कुमार सिंह ग्राम+पो0- सिलारी थाना- शिवसागर जिला- रोहतास	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			7,25,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,25,000/- (सात लाख पच्चीस हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 196993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम- KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम- एस0बी0आई0 ग्रांड उड फ्लौर ओजोन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

2642(14)

पटना, दिनांक

16/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्वाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- **10.09.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० आजाद पिता- मो० फूल बाबू ग्राम- सोभन पो०- लालशाहपुर थाना- सिमरी जिला- दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	सुलेखा कुमारी पिता- सुरदीप यादव ग्राम- फुलटुहा पो०- बनौली थाना- सिमरी जिला- दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	सुदरिका मिश्रा पति- परशुराम मिश्रा ग्राम- कछुआ थाना- चकौटी थाना- जाले जिला- दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	कुमार आनंद पिता- ठाकुर प्रसाद मडल ग्राम- भुतहा पो०- औरहा थाना- नरहिया जिला- मधुबनी	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	नुजहत परवीन पति- इरशाद अहमद ग्राम+पो0- पैगम्बरपुर थाना- सिधवाडा जिला- दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	इरशाद अहमद पिता- सफी अहमद ग्राम+पो0- पैगम्बरपुर थाना- सिधवारा जिला- दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	मुद्रिका देवी पति- राम शकर राय ग्राम- धरोरा पो0+थाना- बहेरा जिला- दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	ज्योति कुमारी पिता- विक्रम ठाकुर ग्राम- बरैडीह पो0- पररि थाना- बिरौल जिला- दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	मधु झा पति- मनोज कुमार झा ग्राम- नदयामि पो0- कुरसो नदयामि थाना- सकतपुर जिला- दरभंगा	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
10	राजन कुमार पिता- सतोष मलिक ग्राम- रामपुर पचासी पो0- जोगियारा थाना- पुपरी जिला- सीतामढी	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	बबिता देवी पिता- रामरूप ठाकुर ग्राम- कसेरा पोखर लोहरसारि पो0- मधुबनी थाना- रहिका जिला- मधुबनी	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
12	गौतम कुमार मडल पिता- स्व0 तपेश्वर मडल ग्राम+पो0- नरपतिनगर थाना- सकरी जिला- मधुबनी	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
13	विशाल कुमार पिता- गणेश कुमार महतो ग्राम- पडासराय पो0+थाना- लेहेहियासराय जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

14	फूलो देवी पति- मुनेश्वर यादव ग्राम- सतपुर पो0- जमालपुर थाना- विशनपुर जिला- दरभंगा	हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 8,75,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,75,000/- (आठ लाख पचहत्तर हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्गफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी०एम०सी० कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

जापाक

1642 (14)

पटना, दिनांक

16/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राम सुन्दर साव पिता- स्व० देवशरण साव ग्राम- चिरैयाटाड पृथ्वीपुर गजाधर स्कूल पो०- जी०पी०ओ० थाना- जक्कनपुर जिला- पटना	हृदय रोग Artery Surgery	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	विक्रम कुमार पिता- सजय कुमार गिरी ग्राम- मारीपुर पो०- सिलौट थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर	हृदय रोग बीएमबी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	लक्ष्मी देवी पति- किशोर प्रसाद ग्राम+पो०- भोकिलापर थाना- हिलसा जिला- नालदा	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	बाबु साहेब सिंह पिता- गोखुलचंद सिंह ग्राम- राजा बिगहा पो०- खभैनी थाना- रामपुर चौरम जिला- अरवल	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	मजू देवी पति- मुन्ना साह ग्राम- महिसौडी पो०+थाना- जमुई जिला- जमुई	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

6	नागदेव सिंह पिता— स्व० राम इकबाल सिंह ग्राम— जमुनापुर पो०— अलावलपुर थाना— गौरीचक जिला— पटना	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लख स्वीकृत।
7	सुरेश चौधरी पिता— रामधनी चौधरी ग्राम— बलवापर पो०— गनपुरा थाना— नूरसराय जिला— नालदा	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लख स्वीकृत।
8	कस्तुरा देवी पति— स्व० भागीरथी साह ग्राम— खडसरा महमूदगज पो०— छाता थाना— दुर्गावती जिला— कैमूर भभुआ	वन हीप रिप्लसेमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
9	बिरेद्र कुमार सिंह पिता— राम दास सिंह ग्राम— मंडर पो०— मिर्जापुर थाना— एन० टी० पी० सी० खैरा जिला— औरंगाबाद	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			7,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 7,20,000/- (सात लाख बीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम— फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम—हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

जापाक 2644 (14)

पटना, दिनांक

16/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
कंकडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मोहम्मद इफ्तेखार पिता- शेख हारून रसीद ग्राम+पो0- पैना थाना- चौसा जिला- मधेपुरा	स्पाईन सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	मुकेश कुमार पिता- विनोद कुमार ग्राम- मत्तेपुर पो0- कोलावा थाना- चंडी जिला- नालंदा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	राम बाबू दास पिता- वैधनाथ दास ग्राम+पो0- बिन्दा थाना- मुशहरी जिला- मुजफ्फरपुर	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196793 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200006844472 खाता धारक का नाम- "आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2645(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकडबाग पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कमल देवी पति- ओमप्रकाश सिंह ग्राम- तेघडा वार्ड 07 पो०- लखनपुर थाना- तारापुर जिला- मुंगेर	कैंसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2646 (14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01 /2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कुमारी शोभा सिन्हा पति- नकुल प्रसाद ग्राम- भट्टापर कुशवाहा धर्मशाला वार्ड 18 पो0+थाना- दानापुर जिला- पटना	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	सूर्य वंश सिंह पिता- सकल दीप सिंह ग्राम- त्रिमूर्ति नगर न्यू गोसाई टोला सुल्तानपुर वार्ड 20 पो0+थाना- दानापुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मास्टर सुमन कुमार केसरी पिता-सुनील केसरी ग्राम-पो0-मुरहन थाना-गोराडीह ओ0पी0 जिला-भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	राज कुमार माझी पिता-नागेश्वर माझी ग्राम-चिउटाहा वार्ड 02 पो0-पिरारी थाना-मैनाटांड जिला-प0 चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मो० साबीर पिता-समीर उद्दीन ग्राम-सिधिया वार्ड 15 पो०-लोहागाडा हाट थाना-बहादुरगज जिला-किशनगंज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	सुदिन मंडल पिता-अमृत मंडल ग्राम-बजरग वाली नगर पो०-नौआगढी थाना-नया राम नगर जिला-मुंगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	मो० आलम पिता-मो० हासिम ग्राम-बरियाही बाजार 09 पो०-बरियाही थाना-बनगाव जिला-सहरसा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	आसानी यादव पिता-जगदीश यादव ग्राम-साहेबचक पो०-सिसवनिया थाना-मीरगज जिला-गोपालगज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मो० नाजीम कुरैशी पिता-मो० बच्चु कुरैशी ग्राम-सहमत हुसैन लेन भीखनपुर गुमटी नं०-03 पो०-हेड पोस्ट आफिस भागलपुर, थाना-ईशाचक जिला-भागलपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	उर्मिला देवी पति-राज नारायण राय ग्राम-सबलपुर चहारम 11 पो०-सोनपुर थाना सोनपुर जिला-सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	शंभुनाथ मंडल पिता-सदानंद मंडल ग्राम-छतियाना पो० छतियाना थाना-रानीगज जिला अररिया	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
12	आयुष कुमार पिता-रविन्द्र पासवान ग्राम-कानु टोला पो०+थाना-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	लालती देवी पति-सुरेश यादव ग्राम-मोकीमपुर वार्ड 13 पो0-सिघारा थाना-दुल्हिन बाजार जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	पार्वती देवी पति-स्व0 सतोषी साव ग्राम दुल्हिन बाजार वार्ड 13 पो0-बेल्हौरी थाना दुल्हिन बाजार जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सुदेश्वर यादव पिता-हरिचरण यादव ग्राम-सुल्तानपुर कौरैया पो0-जमुई थाना दुल्हिन बाजार जिला पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	ललिता देवी पति-शम्भु मडल ग्राम-अदौली पो0-अंदौली थाना-किशनपुर जिला-सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	सलेहा यास्मीन पति-मो0 जशीम ग्राम-दिलावरपुर काली ताजिया, पो0-मुंगेर थाना-पुरब सराय जिला-मुंगेर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			13,40,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,40,000 /- (तेरह लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैसर सेटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2647(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196793 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर

मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अशोक कुमार पिता- स्व० सुखदेव महतो ग्राम+पो०- करहटिया बुजुर्ग थाना- कटहरा ओपी जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रामवती देवी पति- राजगृह यादव ग्राम- हुसेना वार्ड 14 पो०- असार थाना- सिसवन जिला- सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	रामाधार चौधरी पिता- ईश्वर चंद्र चौधरी ग्राम+पो०- कांटाकोश थाना- मनिहारी जिला- कटिहार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सोनम कुमारी पति- राज कुमार ग्राम- महुआबाग वार्ड 08 पो०- सकरैचा थाना- परसा बाजार जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	कान्ति देवी पति- बृजबिहारी सिंह ग्राम+पो०- पाण्डुरा रामपुर थाना- संदेस जिला- भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	उपेन्द्र प्रसाद पिता- दरोगा महतो ग्राम- चान्द सराय पो0+थाना- महुआ जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	रणधीर सिंह पिता- अरविन्द सिंह ग्राम- चकफतह पो0- कजरी बुजुर्ग थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	कौशलेन्द्र कुमार पिता- कामता प्रसाद ग्राम+पो0- पचौरा थाना- हरनौत जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	तेजश्वी कुमार पिता- प्रमोद कुमार ग्राम- गोविंदपुर टोला पो0- बैकटपुर थाना- खुशरूपुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			7,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,20,000/- (सात लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196773 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर' खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2648 (14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196293 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/9/25
निदेशक प्रमुख

सं0स0'14 / एम-11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक

डा० बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि०) सगुना मोड, बेली रोड
पटना -801503

पटना, दिनांक ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	निभा कुमारी पति- शत्रुधन कुमार सुमन ग्राम- टेमा भेला वार्ड 03 पो०- अमा भेला थाना- ग्वालपाडा जिला- मधेपुरा	TLH+BSO	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	बिनोद कुमार पिता- देवेन्द्र प्रसाद ग्राम- सरारी वार्ड 12 पो०- खगौल थाना- शाहपुर जिला- पटना	Lap Cholecystectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 60,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 442820110000158 खाता धारक का नाम-DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-बोरिंग कनेल रोड, पटना, बिहार-800001 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0004428 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 264/14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुंआ पटना 800007

पटना, दिनांक..

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामदेव तौंती पिता— किसुन तौंती ग्राम— मारर दक्षिणी पो०— मारर थाना— मोरकाही जिला— खगड़िया	नी रिप्लेसमेंट	1,40,000	एक लाख चालीस हजार स्वीकृत।
			1,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1714354694 खाता धारक का नाम—“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक, (गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०— KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

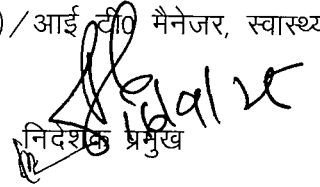
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2650(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हरार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजा मोची पिता- सरयुग मोची ग्राम- नीमी पो०- गौरी पुन्दा थाना- दनियावां जिला- पटना	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	जुली कुमारी पति- मोहन यादव ग्राम- नूरउद्दीनगंज सोडा गोदाम पटना सिटी पो०- माधव मिल्स थाना- मालसलामी जिला- पटना	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	सिमा देवी पति- उदय प्रसाद ग्राम- सैदपुर पो०- करौटा थाना- सालीमपुर जिला- पटना	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	मो० उमर पिता- मो० अप्पाक ग्राम- शाह कमाल रोड पुलिस चौकी लोदी कटरा पटना सिटी पो०- पटना सिटी थाना- खोजेकला जिला- पटना	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			2,50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176493 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 33569032861 खाता धारक का नाम-"ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 मे अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 16/9/2025

ज्ञापाक 265/114)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं0. 176493 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स0स0'14/एम-11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
मेडिपार्क सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
प्लॉट नं०-44 पाटलीपुत्र कोलनी
पटना 800013

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	अनुदान की राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बृंदाला देवी पति- हरेन्द्र सिंह ग्राम+पो०- दुबहा थाना- दरपा जिला- पूर्वी चम्पारण	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 176793 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०- 50374454898 खाता धारक का नाम- मेडिपार्क हेल्थ केयर प्रा० लि० खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इंडियन बैंक शाखा का नाम-पाटलीपुत्रा कालोनी ब्रांच, RTGS/IFSC कोड स०- IDIB000P613 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2652(14)

पटना, दिनांक 16-9-2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196922 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में ,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेंटर एस0के0एम0 सी0 एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रविंद्र कुमार सिंह पिता- शिव सागर सिंह ग्राम+पो0- गौरा उर्फ गोबिंदपुर देवी थाना- पातेपुर जिला- वैशाली केस फाईल न0- 11 एफ 2023/003483	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	निशि सिन्हा पिता- अरबिंद सिन्हा ग्राम- शिवपुरी पोखरिया पो0+थाना- बेगूसराय जिला- बेगूसराय केस फाईल न0- 11 एफ 2024/015896	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	शबनम बानो पति- सैयद असगर इमाम ग्राम- कमरा मोहल्ला बनारस बैक चौक चंदवारा पो0- प्रधान डाकघर थाना- सिवाईपट्टी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19 एफ 2025/004090	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

4	रजना देवी पति— चद्रभूषण सिंह ग्राम— बदरखा वार्ड 05 पो0— मकवा थाना— असरगंज जिला— मुंगेर केस फाईल न0— 11 एफ 2024 / 030047	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	बसती देवी पति— कांतिलाल राय ग्राम— बखरी धूमनगर वार्ड 14 पो0— सिगेला थाना— बरुराज जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0— 19 एफ 2025 / 003849	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	सगीता देवी पति— इनरदेव राय ग्राम— बारा बिशुनपुर पो0+थाना— राजेपुर जिला— पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0— 19 एफ 2024 / 004326	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			5,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,40,000/- (पाँच लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 **196993** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0—TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम—“होमी भाभा कैसर हौस्पिटल, एंड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर”, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम—RTGS/IFSC कोड स0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

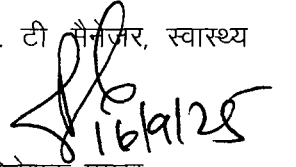
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2653(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196973 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एशियन सिटी अस्पताल
पी0 एम मॉल, पाटलीपुत्रा
इंडस्ट्रीयल ऐरिया
पटना 800013

पटना, दिनांक.

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मेनका देवी पिता- महेश दास ग्राम+पो0- छाप थाना- पारु जिला- मुजफ्फरपुर	ENT Surgery	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	उमेश राम पिता- गाजा राम ग्राम- खतोलवा मलाहीटोला पो0- हाजीपुर थाना- केसरिया जिला- पूर्वी चम्पारण	czsu ltZjh	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	नवलाख साह पिता- कपिलदेव साह ग्राम- मिरजुमला पो0- चकिया थाना- भगवानपुर जिला- सिवान	czsu ltZjh	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 2,50,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-020384600000324 खाता धारक का नाम BLUE SAPPHIRE HEALTH CARES PVT.LTD. Payable at Patna खाते का प्रकार-चालु,

बैंक का नाम- YES BANK शाखा का नाम यश बैंक लि०, ग्राउंड फ्लोर ए-11/33 अलकार सिनेमा रोड,
लाजपत नगर-II नई दिल्ली-110024 RTGS/IFSC कोड सं० YESB0000203 में अंतरित किया जाता
है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2654(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	सुजीत कुमार पिता- राम विनय राय ग्राम- करैला पो०- श्रीकांत थाना- पियर जिला- मुजफ्फरपुर	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	लक्ष्मण कुमार पिता- सुमेर कहार ग्राम- सातो अवन्ति नई कोट वार्ड 12 पो०- चपरॉंग थाना- नुआँव जिला- कैमूर भभुआ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2655(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196293 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/9/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
कंकडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सरस्वती देवी पति- बिष्णुदेव राम ग्राम- जगन्नाथपुर वार्ड 11 पो०- करजा थाना- शम्भुगंज जिला- बाका	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	शारदा देवी पति- विजय चंद्र गुप्ता ग्राम- गुप्ता हाउस द्वारकानाथ लेन वार्ड 37 पो०- कदमकुआ थाना- गांधी मैदान जिला- पटना	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,85,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,85,000/- (एक लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176973 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम- ... RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।



3. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

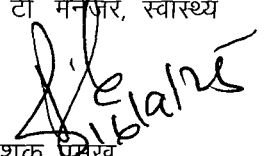
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2656(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
Vista Hospital,
1/1103 Near Patna Central School,
Bypass Road, Jaganpura,
Patna- 800027

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रौशन कुमार पिता- राम प्रसाद पंडित ग्राम- नयागज नयाटोला वार्ड 08 पो- नयागज थाना- देसरी जिला- वैशाली	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 120031898022 खाता धारक का नाम- Vista Hospital Pvt. Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- Canara Bank, शाखा का नाम- Patna Central School, Jaganpura, RTGS/IFSC कोड सं०- CNRB0017435 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।



5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2657(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Dr Prabhat Memorial Hiramati Hospital,
Plot No 106/107-B, Road No
(Near Dinkar Golamber) Rajendra Nagar,
Patna 800016

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निर्बंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पूनम कुमारी पति— रितेश रजन ग्राम— रामनगर लछुमननगर पो०— ढोली थाना— सकरा जिला— मुजफ्फरपुर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	तारणी देवी पति— नीलाम्बर चौधरी ग्राम+पो०— कोटिया थाना— भैरवस्थान जिला— मधुबनी	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	रौशन बेगम पति— मो० रेयाज अहमद ग्राम— सलहा पो०— बरबट्टा थाना— सरायरजन जिला— समस्तीपुर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	चन्दन कुमार पाण्डेय पिता— चंद्रशेखर पाण्डेय ग्राम— भैसानी टोला बडी बगीचा पो०— बेगमपुर थाना— मालसलामी जिला— पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	पुष्पा देवी पति- धनजय कुमार ओझा ग्राम- मशरख पूरब टोला वार्ड 06 पो0+थाना- मशरक जिला- सारण	हृदय रोग पेसमेकर	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	श्यामा देवी पति- वीरेदर प्रताप सिंह ग्राम- मझोवा पो0+थाना- आरा जिला- भोजपुर	नी रिप्लेसमेंट	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
7	अभय कुमार पिता- स्व0 रामसुमरन सिंह ग्राम+पो0- शिवनार थाना- मोकामा जिला- पटना	ब्रेन सर्जरी	2,00,000	दो लाख स्वीकृत।
8	मुन्ना मिया पिता- बाबू जान मिया ग्राम- जुरान छपरा पो0- किशुनपुर थाना- जलालपुर जिला- सारण	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			9,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,35,000/- (नौ लाख पैतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 196993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं- 15570210003107 खाता धारक का नाम- A Unit of Caring Hands Healthcare Pvt. Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- UCO Bank, शाखा का नाम- Kankarbagh Patna, RTGS/IFSC कोड सं- UCBA0001557 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2658(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14 / एम-11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हाईटेक इमरजेसी अस्पताल
प्रा० लि०, सगुना मोड,
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	अनुदान की राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अमरजीत कुमार शर्मा पिता- स्व० राधेश्याम मिस्त्री ग्राम- खेदलपुरा पो०+थाना- बिहटा जिला- पटना	ट्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			₹ 60,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 2005501735, खाता धारक का नाम- M/s HITECH EMERGENCY HOSPITAL, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम- Saguna More Danapur, Patna, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN0284605 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2659 (14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	अशोक सिंह पिता- लाला सिंह ग्राम- मुहम्मदपुर पो०+थाना- औगारी जिला- नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	शारदा देवी पति- उमा राय ग्राम- कोल्हरामपुर पो०- काला पचरुखिया थाना- बडहरा जिला- भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	मो० फखरुद्दीन खलीफा पिता- मो० जमीर खलीफा ग्राम-मुस्लिमबद पो०+थाना- हसपुरा जिला- औरंगाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	बासगीत राय पिता- ढोढा राय ग्राम- कोलहारम्पुर पो०- काला पचरुखिया थाना- बडहरा जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	राज कुमारी देवी पति- नरेश प्रसाद यादव ग्राम- चक साई पो०- हजरात साई थाना- धनरुआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	उमा राय पिता- रामप्रवेश राय ग्राम- कोल्हरामपुर पो0- काला पचरुखिया थाना- बडहरा जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	शाति देवी पति- चिता राय ग्राम- कोल्हरामपुर पो0- काला पचरुखिया थाना- बडहरा जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	नारायण साव पिता-सुखारी साव ग्राम-कश्मीरगज मसौढी पो0-मसौढी थाना मसौढी जिला-पटना	CATARAC T SUGRERY	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	ऋषि कुमारी पिता-श्याम मोहन राय ग्राम-नीलकठ टोला गोरेया स्थान, पोस्ट-ब्यापुर थाना-मनेर जिला-पटना	CATARAC T SUGRERY	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	उर्मिला देवी पति-नारायण साव ग्राम-कश्मीरगज मसौढी पो0-मसौढी थाना मसौढी जिला-पटना	CATARAC T SUGRERY	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	रजीत पासवान पिता-स्व0 राम गोपाल ग्राम-दुल्लुचक पोस्ट+थाना-खगौल जिला-पटना	CATARAC T SUGRERY	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	लाला देवी पति-मुशी लाल पासवान ग्राम-समस्तीपुर झिटकहि पो0-बक्समा थाना-गोरौल जिला-वैशाली	CATARAC T SUGRERY	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
13	अरुणा देवी पिता-जय राम सिंह ग्राम+पो0-निसरपुरा थाना-दुल्हिन बाजार जिला-पटना	CATARAC T SUGRERY	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

14	तिलपरी देवी पति-मुनारिक प्रसाद ग्राम-चक साई पो-हजरत साई थाना-धनरुआ जिला पटना	CATARAC T SUGRERY	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 196993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 26/01/14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक साईंस,
II Floor लीजेन्ड प्लाजा,
नीयर पासपोर्ट आफिस
आशियाना दीघा रोड,
पटना -800014

पटना, दिनांक—

विषय — मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मी देवी पति— शिव शंकर शर्मा ग्राम+पो0— दिघरा थाना— पूसा जिला— समस्तीपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 440030110000048 खाता धारक का नाम—“वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक साईंस ” खाते का प्रकार—चालु बैंक का नाम—बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—पटना मेन ब्रांच, फ्रेजर रोड, पटना RTGS/IFSC कोड स0 BKID 0004400 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यापार के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2661 (14)

पटना, दिनांक 16/9/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/9/23
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक.

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चन्दा खातुन पति—मोहम्मद रूसतम ग्राम+पो0+थाना—सहार जिला—भोजपुर	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	रामपूत प्रसाद पिता—नन्हकु प्रसाद ग्राम—गेलहा बीगहा पोस्ट—नदौल थाना—मसौड़ी जिला—पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	नारायण प्रसाद पिता—रामवृक्ष गोप ग्राम—सोहन बीगहा पोस्ट—रेवान थाना—मसौड़ी जिला—पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	अकलु माझी पिता—प्रसाद माझी ग्राम—तिनेरी पो0—नदौल थाना—मसौड़ी जिला—पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	कारी देवी पति—फगुनी माझी ग्राम—तिनेरी पो0—नदौल थाना—मसौड़ी जिला—पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176993 द्वारा
आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0
50200021671321 खाता धारक का नाम- **BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE
CENTRE**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **HDFC BANK**, शाखा का नाम- **Patliputra
Branch, Kurji (Patna)**, RTGS/IFSC कोड सं0 **HDFC0002643** में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2662(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 176993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
जाहीद अख्तर
पिता— अब्दुल गफ्फार अहमद
ग्राम— बहादुरगंज
पो०— चिकसी
थाना— सिगौरी
जिला— पटना
पिनकोड— 801110

पटना दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जाहीद अख्तर पिता— अब्दुल गफ्फार अहमद ग्राम— बहादुरगंज पो०— चिकसी थाना— सिगौरी जिला— पटना पिनकोड— 801110	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या— 213(14), दिनांक—30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /—	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /—(एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०—30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 176983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०— 20057459516, खाता धारक का नाम— ZAHID AKHTER AND SHABANA PARWEEN, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम— PHULWARISHARIF, IFSC कोड स०— SBIN0012591 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2682(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक पमु
16/9/25

Generally used abbreviations

A/c = Account	dep = Deposit	Pr = Principal
Adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DOB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Savings Bank
chg/ch = Charge	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	int/ln = Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of
coll = Collection	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commission	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	+MOD bal = total balance (SB+linked MOD a/c)

Self
Attested
Zahid
Akhter

भारतीय स्टेट बैंक PASS BOOK IN CONTINUATION
ISSUED ON 17/06/19

State Bank of India

REGULAR SB CHQ-INDIVIDUALS

CIF No : 85698887936
Account No : 20057459516
Customer Name: ZAHID AKHTER AND SHABANA PARWEEN

PHULWARI SHARIF
SHANTI GUEST HOUSE, OPPOSITE BL
OCK

S/D/W/H/o: ABDUL GAFFAR AHMED
Address: NEW MILLAT COLONY, SECTOR 2
PHULWARI SHARIF
PATNA

Phone: 2556048
Email: sbi.12591@sbi.co.in
Branch Code: 12591
Date of Issue: 17/06/2019
17/06/2019 6829821 12591
IFSC: SBIN0012591

Phone:
Email: akhter.zahid92@gmail.com
D.O.B. (If Minor):

MOP.: EITHER

Non. Reg. N

HELPLINE : 1800-11-22-11 1800-425-3800

शखा प्रबंधक
Branch Manager

स0 स0 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अनू कुमार
पिता- पन्नालाल प्रसाद
ग्राम- शिवपुरी भसलोतन
पो०+थाना- वाल्मीकिनगर
जिला- पश्चिम चम्पारण
पिनकोड- 845107

पटना दिनांक . . .

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनू कुमार पिता- पन्नालाल प्रसाद ग्राम- शिवपुरी भसलोतन पो०+थाना- वाल्मीकिनगर जिला- पश्चिम चम्पारण पिनकोड- 845107	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196793 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 34541364357, खाता धारक का नाम- ANNU KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- VALMIKINAGAR, IFSC कोड स०- SBIN0001432 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

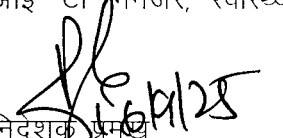
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2683(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख



Generally used abbreviations

dep = Deposit	Dr = Debit	Dr = Debit
Dt = Draft	DR = Debit	DR = Debit
dish/dish = Dishonour	DoB = Date of Birth	DR = Debit
DR = Debit	eft = Electronic Fund Transfer	DR = Debit
DoB = Date of Birth	Inop = Inoperative	DR = Debit
eft = Electronic Fund Transfer	ins = Insurance	DR = Debit
Inop = Inoperative	int/in = Interest	DR = Debit
ins = Insurance	lon/in = Loan	DR = Debit
int/in = Interest	min = Minimum	DR = Debit
lon/in = Loan	os = Outstanding	DR = Debit
min = Minimum	P & T = Postage & Telegram	DR = Debit
os = Outstanding	Pos = Point of sale	DR = Debit
P & T = Postage & Telegram		DR = Debit
Pos = Point of sale		DR = Debit

संशोधन स्टेट बैंक

State Bank of India

Savings Bank Account

CIF No: 38041777166

Account No: 34541364357

Holder Name: Mr. KIMAR

VALMIKINAGAR

PO + PS-VALMIKINAGAR

Address: Mr. KIMAR

Address: Mr. KIMAR

Address: Mr. KIMAR

Address: Mr. KIMAR

Phone: 256217

Email: sbi.01432@sbi.co.in

Branch Code: 1432

Date of Issue: 24/12/2014

29/12/2014 15:02:28

HELPLINE 1800-11-22-11 1800-425-3800

अनु कुमार

A/c 34541364357

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
दीपक कुमार सिंह
पिता- स्व० अवध किशोर सिंह
ग्राम- गुरुद्वारा रोड महबूब खान टोला
पो०- भट्टा बाजार
थाना- सहायक
जिला- पूर्णियाँ
पिनकोड- 854301

पटना दिनांक

विषय — मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीपक कुमार सिंह पिता- स्व० अवध किशोर सिंह ग्राम- गुरुद्वारा रोड महबूब खान टोला पो०- भट्टा बाजार थाना- सहायक जिला- पूर्णियाँ पिनकोड- 854301	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196793 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 32292847160, खाता धारक का नाम- DEEPAK KUMAR SINGH, खाते का प्रकार-SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- PGIMER CHANDIGARH, IFSC कोड स०- SBIN0001524 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

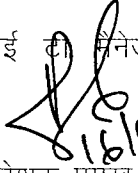
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2684 U4)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है संलग्न चेक सं० 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16/9/25
निदेशक प्रमुख

सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

- अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अकों, एक विशेष चिह्न (Special Characters) का उपयोग कर उसे मजबूत और जटिल रखें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड क्रमांक, सीवीसी, पिन, आदि किसी के साथ साझा न करें।
- अनजान प्रेषकों द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से प्राप्त होने वाली लिंक्स पर क्लिक न करें।
- अनजान व्यक्तियों की सलाह पर कोई भी एप्लिकेशन इंस्टॉल न करें।
- एसबीआई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB सुरक्षित कोड के साथ ही आएंगे। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:

1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

Tips for Secure Banking

- Keep your password strong and complex with a combination of small and large characters.
- Do not share your personal information like Password, OTP, Card Number, etc.
- Do not click on links received from unknown senders or on social networking sites.
- Do not install any application from unknown sources.
- SMS sent by SBI will always start with SBI, e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

Call our helpline number

1800-11-22-11/1800-



To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930. For more information visit: <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

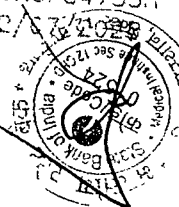
SECTOR - 12
BRANCH - KISHOR SINGH
PHONE NO. 4070017
IFSC: SBIN0001320

Name: Mr. JEEVAN KUMAR SINGH
A/c No. : 86313381414
A/c Type : SAVINGS BANK ACCOUNT
Address : MANDUJA KHAN TOLA
NARAR SURUDWARA ROAD
JALPAIGURI 754301

Phone No. :
Email :
C.O.B. (if any) :
PAN No. :

Branch No. : 10000000-10000000
MICR : 100000007

MOF: SINGLE
A/c Opening Dt: 19/04/2012
Nom Reg No.
Customer's PAN: CRJ034755n
Date of Issue: 02/07/2022
DUPLICATE



शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

स० स० 14/एम 11- 01/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

सुर्यशेखर आजाद

पिता- अशर्फीलाल सहनी

ग्राम+पो०- लखनीपुर महेशपट्टी

थाना- उजियारपुर

जिला- समस्तीपुर

पिनकोड- 848132

पटना दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुर्यशेखर आजाद पिता- अशर्फीलाल सहनी ग्राम+पो०- लखनीपुर महेशपट्टी थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर पिनकोड- 848132	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

2. उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० **196993** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०-0509201700011811, खाता धारक का नाम- SURYA SHEKHAR AZAD, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- PUNJAB NATIONAL BANK, शाखा का नाम-, IFSC कोड सं०- PUNB0050920 में अंतरित किया जाता है।
3. निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2685(14)

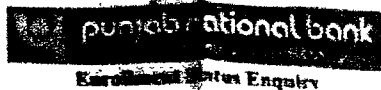
पटना, दिनांक 16/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196993 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

PUN 00050 920



Date	
Time	
Enrollment Type	
Account Opening Date	
Customer Name	
Account Number	
CVV Number	
Age Number	
Remarks	ACCOUNT OPENED. Success: Customer Id: 846989979 and Account 0509201700011811 has been created successfully
Status	

12-07-2021
09:26:24
PNA-
12 JUL 21
Surya Shekhar Arora
0509201700011811
846989979
K040761905092012072401000340
SUCCESSFUL

[Print eKYC Account Opening Form]

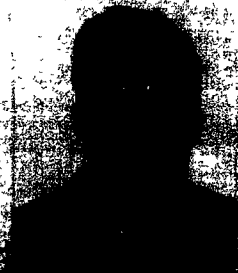


Account Opening Form

ACCOUNT TYPE: I wish to open the following type of account SB Basic savings Bank deposit Account
 ACCOUNT TYPE: OTHER INDIVIDUAL
 ACCOUNT TYPE: CAPITAL Letters (leaving a space between first, middle & last name)

K040761905092012072401000340
 Surya Shekhar Arora
 Male
 0509201700011811
 846989979
 0509201700011811
 0310714328

Customer Photo :



06-07-1990
 POST GRADUATE (GENERAL)
 INDIAN
 HINDU
 STUDENT
 0310714328

स0 स0 14/एम 11- 01/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

सदीपन कुमार

पिता- अमरेद्र कुमार सिंह

ग्राम+पो0- पबरा

थाना- मंझौल पुलिस स्टेशन

जिला- बेगूसराय

पिनकोड- 851127

पटना दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 10.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सदीपन कुमार पिता- अमरेद्र कुमार सिंह ग्राम+पो0- पबरा थाना- मंझौल पुलिस स्टेशन जिला- बेगूसराय पिनकोड- 851127	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु0 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार)) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196993 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स0-584310110004017, खाता धारक का नाम- SANDEEPAN KUMAR, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- BANK OF INDIA, शाखा का नाम-MANJHAUL, IFSC कोड स0- BKID0005843 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

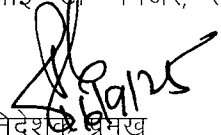
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2686(14)

पटना, दिनांक 16/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196973 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख



Bank of India

बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया

SANDEEPAN KUMAR

A/c No - 584310110004017

IFSC - BKID0005843

BANK OF INDIA

1
4
7
181
212
212
125
149
483

